न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 299 / 2025

श्री हार्दिक, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333028, मो0न0 7014193571

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 299 / 2025 पर दिनांक 22.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 3594–95 दिनांक 22.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0 / 2025 / 33 दिनांक 14.8.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री हार्दिक, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय नगर पालिका सुलताना व विकास अधिकारी, पंचायत सिमति चिडावा से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) की मूल ही अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुलताना व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चिडावा को भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के पत्रांक सू0अ0 / 2025 / 33 दिनांक 14.8.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री हार्दिक, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय नगर पालिका सुलताना व विकास अधिकारी, पंचायत सिमति चिडावा से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) की मूल ही अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुलताना व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चिडावा को भिजवाई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सुलताना व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चिडावा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं